

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA,  
THIRUVANANTHAPURAM

सं सं.लेप. II/प्रशा/ हडताल 28<sup>वीं</sup> व 29<sup>वीं</sup> / 2021-22

No. AuII/Admn/ /Strike 28<sup>th</sup>& 29<sup>th</sup>/2021-22

दिनांक: 24.02.2022

परिपत्र / CIRCULAR NO. 14

1. कुछ सेवा संघों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 28<sup>वीं</sup> तथा 29<sup>वीं</sup> मार्च 2022 को हडताल हेतु आह्वान करते हुए ध्यान में आया है।

It has come to notice that certain Service Associations have called for a strike on 28<sup>th</sup>&29<sup>th</sup> March 2022 in support of their demands.

2. इस प्रसंग में यह बात कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे कोई हडताल/ आंदोलनकारी कार्यक्रम में भाग लेना केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली), 1964 के नियम 7 तथा उस आधार पर भारत सरकार के निर्णय (2) के विरुद्ध होगा। यह नियम स्पष्टतः अनुबद्ध करता है कि कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से संबंधित कोई भी विषय के सिलसिले में किसी भी तरह की हडताल या बल प्रयोग या शारीरिक दबाव का सहारा नहीं लेंगे न उकसावा देंगे।

In this context it is brought to the notice of the staff that participating in any such strike/agitational programme would be against the Central Civil Services (Conduct Rules) 1964, vide Rule 7 and GOI decision (2) there under. This Rule expressly stipulates that no Government servant shall resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his/her service or the service of any other Government servant.

3. भारत सरकार द्वारा व्यक्त किया गया है कि 'हडताल' से तात्पर्य कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा काम करने से इन्कार करना या काम बंध या धीमा करना है और अनुमति के बगैर व्यापक रूप से काम में अनुपस्थित रहना भी इसमें शामिल है। भारत सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमति के बिना कार्यालय परिसर में आन्दोलन/ बैठक आयोजित करना सख्त रूप से मना है तथा ऐसी कोई बैठक को कें.सि.से (आचरण) नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन माना जाएगा। मुख्यालय कार्यालय ने यह भी सूचित किया है कि कार्यालय परिसर के भीतर यानि कि कार्यालय की सीमा के भीतर प्रदर्शन करने के लिए कोई भी संघ को अब से अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई प्रदर्शन /बैठक आयोजित करने / भाग लेनेवाले और / या किसी भी रूप के हडताल का आश्रय लेने या किसी भी तरह उसके लिए अवप्रेरित करनेवाले कोई भी सरकारी कर्मचारी पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

It has been clarified by Government of India that "Strike" means refusal to work or stoppage or slowing down of work by a group of employees acting in combination and includes mass abstention from work without permission. The Government of India has also clarified that holding of demonstration/ meeting without permission within office premises is strictly prohibited and any such meeting would be treated as a violation of the Rule 7 of the CCS (Conduct) Rules. Headquarters Office has also intimated that henceforth no permission will be granted to any Association to hold demonstrations within the office premises i.e within the boundaries of the Office. Any Government servant engaging himself or participating in any demonstration/meetings in violation of the instructions and/or resorting or in any way abetting any form of strike will be viewed seriously.

4. इस खिलसिले में यह भी नोट किया जाए कि अनुमति के बगैर काम पर अनुपस्थित रहना भी, अनुशासनिक कार्रवाई के अतिरिक्त सू.नि. 17 (1) तथा सू.नि. 17 (ए) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत निपटाए जाने के आदी है। अतः सभी कर्मचारी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त हड़ताल / आंदोलनकारी कार्यक्रम में भाग लेने से दूर रहे।

In this connection, it may also be noted that abstention from work without permission is also liable to be dealt with under the provisions of the proviso to FR 17 (1) and FR 17 (A) in addition to disciplinary action. Therefore, all the staff members are advised to refrain from participating from the above said strike/agitational programme.

5. छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारियों को अनुदेश दिया जाता है कि हड़ताल का प्रस्तावित दिन यानि कि 28<sup>वीं</sup> तथा 29<sup>वीं</sup> मार्च 2022 को उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को किसी भी तरह की छुट्टी मंजूर न करें। यदि किसी अकाट्य कारण पर छुट्टी का आवेदन किया जाता है तो उसे औचित्य तथा प्रमाणों द्वारा समर्थित किया जाना है और उसकी मंजूरी वरिष्ठ उप महालेखाकार / प्रशासन द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। शाखा अधिकारियों को हड़ताल के दिन सुबह 10.00 बजे और शाम को 04.00 बजे अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों / क्षेत्रीय दलों के कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करनी है और संलग्न प्रपत्र में उपस्थिति की स्थिति रिपोर्ट, छुट्टी पर अनुपस्थित रहनेवाले पदाधिकारियों का नाम विनिर्दिष्ट करते हुए का.स्था.(प्रशासन) को सुबह 10.30 बजे और शाम को 04.30 बजे प्रस्तुत करना होगा। मुख्यालय अनुभागों द्वारा क्षेत्रीय दलों की रिपोर्टों को समेकित की जाए और का.स्था/प्रशा. को भेजी जाए।

Leave sanctioning authorities are instructed not to sanction any kind of leave for the proposed days of Strike i.e. on 28<sup>th</sup> & 29<sup>th</sup> March 2022 to the officers/staff working under them. If the leave is applied for on compelling reasons, justified and supported by evidence, this should be sanctioned by Senior Deputy Accountant General (Administration). Branch Officers are to check the attendance of the staff in the Sections/Field Parties under their control at 10.00AM and 04.00PM on the day of Strike and report the position of attendance in the proforma enclosed, specifying the names of officials who were not present for duty, to OE (Admn), at 10.30 AM & 4.30 PM. Report of the Field Parties may be consolidated by Headquarters Sections and sent to OE(Admn.)

(प्रधान महालेखाकार के दि.22.02.2022 के आदेशानुसार /  
Vide orders dated 22.02.2022 of Principal Accountant General)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएसजी I)  
Sr. Deputy Accountant General(Admn&AMG I)

सेवा में / To

1. मुख्य /शाखा कार्यालयों के सभी समूह अधिकारीगण/ शाखा अधिकारीगण  
All Group Officers/Branch Officers in Main / Branch Offices.
2. मुख्य /शाखा कार्यालयों के सभी अनुभाग / All Sections in Main / Branch Offices.
3. नि.लेप.अधिकारीगण/ RAOs
4. सूचनापट्ट / Notice Board.

Section:.....

Attendance position as on .....10.00 AM/4.00PM

Sl.No.		Sr.AO	AAO/Supvr	Asst.Supvr/ Sr.Adr/Adr	CT/DEO	MTS	Others	Total
1.	No. of staff							
2.	No. of officials present							
3.	No. of officials on training/official tour etc							
4.	No. of officials absent including leave							

Details of Absentees (details in respect of serial No.4 of the above table.

Sl.No.	Name	Designation	Whether on leave or absent	Whether leave sanctioned	Nature and period of leave	Reason for leave	If absent, whether it was with the intention for participating in the strike.

Note:All columns should be duly filed

Sr. AO.....